

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-4./प्राक01-142/2025 486
सेवा में,

पटना, दिनांक:- 03/10/2025

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

विषय:- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर स्थायी शौचालय निर्माण, जलापूर्ति एवं ईलेक्ट्रिफिकेशन आदि कार्यों हेतु कुल ₹23,38,509/- (तेइस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ नौ रुपये) मात्र की स्वीकृति।

(विपत्र कोड संख्या-36-2215011020001)

आदेश:- निम्न तालिका में उल्लेखित कार्यों के विरुद्ध स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद अंतर्गत स्वीकृति-

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	Construction of permanent toilet complex four unit set and shower five unit set for Male including water supply and electrification work at Surya Mandir, Kandaha (Shiv Mandir), Panchayat - Pastwar, Block-Mahishi, saharsa for the year 2025-26.	₹7,79,503
2	Construction of permanent toilet complex four unit set and shower five unit set for Male including water supply and electrification work at Durga Sthan Sonbarsa Raj, Sonbarsa, Saharsa for the year 2025-26	₹7,79,503
3	Construction of permanent toilet complex four unit set and shower five unit set for Male including water supply and electrification work at Chandi Sthan, Biratpur, Sonbarsa, Saharsa for the year 2025-26	₹7,79,503
Total-		₹23,38,509

2. इस राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अंतर्गत मांग सं0- 36-मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष-0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना के विषय शीर्ष (27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत मद के अन्तर्गत विकलनीय है।
3. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि की सीमा तक ही सीमित रहेगा।
4. इस कार्य के लिए कोई नया पद का सृजन नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सहरसा होंगे तथा कोषागार सहरसा से निकासी की जाएगी।
6. स्वीकृत राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
7. उक्त कार्य पर सचिव द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. इस पर विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. इस पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
10. उक्त कार्य PWD Code एवं वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए किया जाएगा।
11. इस संबंध में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

16th
Encl
ज्ञापांक:-4/प्राक्क01-142/2025 486

पटना दिनांक:- 04/010/2025

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय एवं कार्य प्रबंधन) कोषांग/मुख्य अभियंता (उ0बि0)/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वा0 अभि0 अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा0 प्रमं0, सहरसा/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)